



दिनांक- 01.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 650/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी थाना खरेला

थाना खरेला पुलिस टीम द्वारा

पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के कुशल नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के पर्यवेक्षण में जनपद में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना खरेला पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

थाना खरेला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 55/2026 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला श्री नन्हेलाल यादव द्वारा पुलिस टीम गठित की गई थी। गठित टीम के व0उ0नि0 श्री सत्येन्द्र सिंह, उ0नि0 राकेश कुमार शर्मा, का0 प्रान्जल दुबे एवं म0का0 शिवानी साहू द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित पीड़िता/अपहता एवं अभियुक्त की सघन तलाश, पतारसी एवं सुरागरसी के क्रम में दिनांक 31.08.2026 को पीड़िता/अपहता को सकुशल बरामद किया गया तथा प्रकाश में आये अभियुक्त रंजीत कुमार जाटव को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए उसे माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेशी हेतु भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रंजीत कुमार जाटव पुत्र छबीले जाटव, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी ग्राम कुईया लालपुर थाना खुटार जिला शाहजहांपुर, हाल पता हाउस नम्बर 22, गली नम्बर 5, कुंडली जिला सोनीपत हरियाणा

अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 55/2026 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना खरेला जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 सत्येन्द्र सिंह
2. उ0नि0 राकेश कुमार शर्मा
3. का0 प्रान्जल दुबे
4. म0का0 शिवानी साहू





दिनांक- 01.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 651/26

महोबा पुलिस

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा ने ऐतिहासिक कजली मेला महोत्सव की सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्थाओं का लिया जायजा, सम्बन्धित को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा आज दिनांक 01.09.2026 को ऐतिहासिक कजली मेला की सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत सम्पूर्ण मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा मेला क्षेत्र में तैनात पुलिस बल की, प्रवेश एवं निकास मार्गों, भीड़भाड़ वाले स्थानों तथा प्रमुख सुरक्षा प्वाइंटों का जायजा लिया गया। साथ ही निगरानी टावरों का निरीक्षण कर वहां तैनात पुलिसकर्मियों को पूरे मेला क्षेत्र पर सतर्क दृष्टि बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

मेला क्षेत्र में स्थापित सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से संदिग्ध गतिविधियों एवं व्यक्तियों पर लगातार निगरानी की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था का भी जायजा लेते हुए किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा अप्रिय स्थिति की सूचना मिलने पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता देते हुए भीड़भाड़ वाले स्थानों पर महिला पुलिसकर्मियों की सक्रिय मौजूदगी सुनिश्चित करने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित किसी भी सूचना पर तत्काल संज्ञान लेकर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

इसके पश्चात अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस बल के साथ सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में पैदल गश्त की गई। पैदल गश्त के दौरान आमजन से संवाद करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को लगातार भ्रमणशील एवं सतर्क रहने के निर्देश दिए गए।

कीरत सागर क्षेत्र में सुरक्षा एवं बचाव व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। जल क्षेत्र में तैनात पुलिस/रेस्क्यू टीम को विशेष सतर्कता बरतने तथा सुरक्षा उपकरणों एवं लाइफ जैकेट का अनिवार्य रूप से प्रयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य किया जा सके।

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि कजली मेला में आने वाले श्रद्धालुओं एवं आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। संदिग्ध व्यक्तियों एवं वस्तुओं पर सतर्क दृष्टि रखते हुए भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था एवं कानून-व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखा जाए तथा किसी भी आकस्मिक स्थिति में त्वरित एवं समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

महोबा पुलिस द्वारा ऐतिहासिक कजली मेला को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु मेला क्षेत्र में लगातार प्रभावी निगरानी, पैदल गश्त एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।





दिनांक- 01.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 652/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा बैंक के सामने हुई 03 लाख रुपये की चोरी का सफल अनावरण, 02 महिला अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की पूरी रकम बरामद।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोड़ के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं चोरी की घटनाओं के सफल अनावरण तथा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.09.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 31.08.2026 को इण्डिया बैंक के सामने से 03 लाख रुपये चोरी होने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 433/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन में पुलिस टीम गठित की गई।

गठित टीम के उ0नि0 पवन गौड़ व उ0नि0 अंकित सिंह चौहान मय हमराह म0कां0 काजल सिंह एवं म0कां0 प्रिया सिंह द्वारा वांछित अभियुक्ता 1.हिना उर्फ रीना सिसौदिया एवं 2.सुनीता को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ताओं के कब्जे से चोरी किये गये 03 लाख रुपये की शत-प्रतिशत धनराशि बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्ताओं को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता -

1.हिना उर्फ रीना सिसौदिया पत्नी प्रकाश सिसौदिया उम्र करीब 31 वर्ष

2.सुनीता पत्नी मुंशीलाल उम्र करीब 56 वर्ष निवासीगण ग्राम कड़िया पोस्ट पिपलिया थाना ब्यावरा जनपद राजगढ़ (म0प्र0)

बरामदगी-

अभियुक्ताओं के कब्जे से चोरी के 03 लाख रुपये नगद बरामद।

अभियुक्ता हिना उर्फ रीना सिसौदिया का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 230/2020 धारा 379/511 भादवि थाना चेतगंज, जनपद काशी (कमिश्रेट वाराणसी)।

2.मु0अ0सं0 502/2024 धारा 303(2)/62 बीएनएस थाना टूंडला, जनपद फिरोजाबाद।

3.मु0अ0सं0 460/2016 धारा 379/511 भादवि थाना झींझाना, जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 09/2022 धारा 479/411/420 भादवि थाना तालकटोरा लखनऊ पश्चिमी (कमिश्रेट लखनऊ)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 पवन गौड़

2.उ0नि0 अंकित सिंह चौहान

3.म0कां0 काजल सिंह

4.म0कां0 प्रिया सिंह





दिनांक- 01.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 653/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर - थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर महोबा पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ

01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.09.2026 को थाना कोतवाली नगर महोबा पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित उ0नि0 अभिनव सिंह व उ0नि0 हर्षित मिश्रा मय हमराह कां0 जितेन्द्र यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त सुरेश यादव पुत्र मोतीलाल यादव उम्र करीब 25 वर्ष निवासी बिलवई चुंगी आलमपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को रामकुण्ड मोड पुलिया के पास चौकी क्षेत्र मनियादेव से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 435/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

सुरेश यादव पुत्र मोतीलाल यादव उम्र करीब 25 वर्ष निवासी बिलवई चुंगी आलमपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

बरामदगी-

01 अदद तमंचा 315 बोर नाजायज

01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 अभिनव सिंह
2. उ0नि0 हर्षित मिश्रा
3. का0 जितेन्द्र यादव





दिनांक- 01.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 654/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ - थाना कुलपहाड़

थाना कुलपहाड़ पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्ताओं को किया गया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के नेतृत्व में जनपद में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.09.2026 को थाना कुलपहाड़ पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री अवधेश कुमार मिश्र द्वारा गठित 30नि0 हरीशंकर यादव मय हमराह म0कां0 बबिता पाल एवं म0कां0 अंशिका मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलपहाड़, महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारंट मु0अ0सं0 178/2020, धारा 147/447/448/504/506 भादवि से संबंध में 02 वारण्टी अभियुक्ताओं क्रमशः 1.श्रीमती अभिलाषा पत्नी सुरेशचन्द्र, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम मुढ़ारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा 2.श्रीमती ममता पत्नी मनीराम उर्फ मन्नी, उम्र करीब 50 वर्ष, निवासी ग्राम मुढ़ारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तागण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तागण-

- 1.श्रीमती अभिलाषा पत्नी सुरेशचन्द्र, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम मुढ़ारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा।
- 2.श्रीमती ममता पत्नी मनीराम उर्फ मन्नी उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम मुढ़ारी थाना कुलपहाड़ महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.30नि0 हरीशंकर यादव
- 2.म0कां0 बबिता पाल
- 3.म0कां0 अंशिका मिश्रा

